

प्राक्कथन

मार्च 2020 और 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन के अध्याय V से VII, जो संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें (डी पी सी)) अधिनियम, 1971 जैसा कि 1984 में संशोधित है, की धारा 19 (क) के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किये गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और इन मंत्रालयों के तहत विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण, वे हैं जो 2019-20 व 2020-21 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही जो पूर्व के वर्षों में सामने आए, परंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।